-1-

(190)

COURT FEE ₹20 INDIA TWENTY RUPEES

COURT FEE ₹10 INDIA TEN RUPEES

श्री चतुर्वेदी ... आज दि. 7-2-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट ... ग्वालियर

समक्ष मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ..../A 585-I/17/...........................

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्री डुमारी सिंह कुसराम उम्र 34 वर्ष पिता श्री बुद्धू सिंह कुसराम (गौड आदिवासी) निवासी-म.नं. 10, वार्ड नं. 1, ग्राम डोली तह. कुण्डम जिला जबलपुर

विरूद्ध

अनावेदक -

1. श्री सौरभ रजक पिता भगवान दास रजक गैर आदिवासी) निवासी म.नं. 1900/1, सिविल लाईन, डिफेंस कॉलोनी, तह. व जिला जबलपुर

2. श्रीमती वंदना रजक पति श्री सौरभ रजक (गैर आदिवासी) निवासी म.नं. 1900/1, सिविल लाईन, डिफेंस कॉलोनी, तह. व जिला जबलपुर

3. श्री शिरीष अडावतकर पिता शरद गणेश निवासी-म.नं. 2238, राईट टाउन, अरूण डेरी के पास, सुभद्रा कुमार चौहान वार्ड, जबलपुर

4. संध्या अडावतकर पति शिरीष अडावतकर निवासी- सुभद्रा कुमार चौहान वार्ड, जबलपुर

5. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

NOTARY GOVT. OF INDIA MOHAMMED ASHFAQUE JABALPUR DIST. M.P. Regd. No. 7823

07/2/17

अपील अंतर्गत धारा 35(4) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1. मान्नीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के **प्रकरण क्र. 01/अ-21/2016-17** में पारित आदेश दि. 06/02/2017 (Annexure.1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(4) के तहत् यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 585-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-2-17	यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 6-2-17 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी क्रं. 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 6-2-17 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । अपीलार्थी द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी डुमारी सिंह कुसराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम डोली प0 ह0 नं0 22 रा0नि0मं0 इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 90/2 रकबा 1.380 हैक्टर	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	एवं खसरा नं. 124 रकबा 1.270 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति सदस्य सोनू राय एवं रोहणी प्रसाद चौधरी से को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियां अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमियां है शासन से प्राप्त भूमियां नहीं है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियों के अतिरिक्त विभिन्न ग्रामों में 5.36 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है । आवेदक द्वारा अपील आवेदन एवं तर्को में यह अनुरोध किया गया है कि प्रस्तावित क्रेता सोनू राय एवं रोहणी प्रसाद चौधरी अब आवेदित भूमि को क्रय नहीं कर रहे हैं इस कारण अब आवेदक अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 को उक्त भूमि विक्रय करना चाहता है और उक्त व्यक्ति वर्तमान गाइड लाइन से आवेदक को अधिक मूल्य देने को तैयार हैं । अंतरण में आवेदक के साथ कोई छल कपट नहीं हो रहा है । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 6-2-17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम डोली	36

XXXIX(a)BR(H)-11 4-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 585-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प0ह0नं0 22 रा0नि0मं0 इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 90/2 रकबा 1.380 हैक्टर में से 0.690 हैक्टर तथा खसरा नं. 124 रकबा 1.270 में से 0.760 हैक्टर अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 को तथा खसरा नं. 90/2 में से शेष रकबा 0.690 हैक्टर एवं खसरा नं. 124 में से शेष रकबा 0.510 हैक्टर अनावेदक क्रमांक 3 एवं 4 को (गैर आदिम जनजाति सदस्यों) को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :- 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी । 3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा । अपील तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर	